.02.

न्यायालय अंचल अधिकारी ,गिद्धौर।

आदेश

विविध वाद सं0– 07/2023–24

गंगा भुईयां वगै0 बनाम शैलेस यादव एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई 3
16.05.23	आवेदक गंगा भुईयां वगै0 पिता–स्व0 अकल भुईयां ग्राम–कुरकुटा थाना गिद्धौर द्वारा दिए गए आवेदन पर वाद प्रारम्भ किया गया। आवेदक गंगा भुईयां वगै0 द्वारा आवेदन दिया है कि उनके पिताजी के नाम से मौजा कुरकुटा के खाता सं0 22 प्लॉट सं0 616 रकवा 1.70 ए0 भूमि अंचल अधिकारी ईटखोरी के बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ है। वे अनुसूचित जाति के सदस्य है। आगे कहा गया है कि कुछ जमीन हमारे कब्जे में है और कुछ जमीन शैलेस यादव एवं मुकेश यादव पिता दशरथ यादव तथा परमेश्वर यादव पिता धनु यादव साकिन कुरकुटा के द्वारा पैसे एवं ताकत के बल पर दखल किया गया है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि का बंदोबस्ती पर्चा तथा सरकारी रसीद की छाया प्रति संलग्न करते हुए जमीन को मापी कराने का अनुरोध किया गया ।	

बंदोबस्ती से प्राप्त भूमि का विवरणी

क्र0	मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	बंदोबस्तधारी का नाम	पंजी II पृष्ठ सं0	चौहद्दी
1.	कुरकुटा 16	22	616	1.70 ए0	अकल भूईयां पिता मना भुईयां ग्राम–कुरकुटा	59/I	उ0–नाला द0–रास्ता नदी पु0– X प0– X
कुल				1.70 ए0			

उभय पक्षों को कागजात के साथ उपस्थित होने एवं अपना अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस दिया गया।

उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना अपना पक्ष रखे जिसे सुना गया एवं प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया।

विपक्षी सं0–1. शैलेस यादव वगै0 पिता–दशरथ यादव के द्वारा सरकारी रसीद,पंजी 2 की प्रति तथा निबंधित केवाला सं0 3972/1990 की छायाप्रति दाखिल किया गया तथा लिखित जबाव में कहा गया कि खाता सं0 22 प्लॉट सं0 616 रकवा 1.00 ए0 बलदेव सिंह पिता स्व0 बैजनाथ सिंह साकिन कुरकुटा से दिनांक 23.07.1990 को जमीन का केवाला श्रीमति बोधनी देवी पति दशरथ यादव ग्राम–कुरकुटा को किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

केवाला की तारीख से जमीन पर जोत–कोड़ करते आ रहे हैं।इस जमीन पर वर्तमान में मनरेगा योजना से 1.00 ए0 में आम बागवानी सुमन कुमारी पति मुकेश कुमार ग्राम कुरकुटा के नाम से वर्ष 2022–23 में लगाया गया है। श्रीमति बोधनी देवी मेरी मां है एवं सुमन कुमारी भावो हैं।

केवाला सं 3972/90 की भूमि का विवरणी

क्र0	मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	क्रेता का नाम	पंजी II पृष्ठ सं0	चौहद्दी
1.	कुरकुटा 16	22/50	616	1.00 ए0	बोधनी देवी जौजे दशरथ यादव	28/3	उ0–नीज क्रेता द0–नदी पु0–आम का पेड़,नदी प0–बिक्रेता

विपक्षी सं0–2. परमेश्वर यादव के पिता स्व0 धनु यादव के के द्वारा सरकारी रसीद,पंजी 2 की प्रति तथा निबंधित केवाला सं0 1645/96 की छायाप्रति दाखिल किया गया तथा लिखित जबाव में कहा गया कि खाता सं0 22 प्लॉट सं0 616 रकवा 0.80 ए0 रामश्रय सिंह पिता रामनन्दन सिंह साकिन कुरकुटा से दिनांक 16.04.1996 को जमीन का केवाला से स्वयं खरीद किया है। केवाला की तारीख से जमीन पर जोत–कोड़ करते आ रहे हैं एवं दखल–कब्जा में है तथा मकान भी बना हुआ है।

केवाला सं 1945/96 की भूमि का विवरणी

क्र0	मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	क्रेता का नाम	पंजी II पृष्ठ सं0	चौहद्दी
1.	कुरकुटा 16	22/50	616	0.80 ए0	परमेश्वर यादव पिता स्व0 धनु यादव सा0–कुरकुटा	–	उ0–रास्ता,मकान दशरथ यादव द0–नदी पु0–विक्रेता प0–बिक्रेता

आवेदक द्वारा दाखिल बंदोबस्ती पर्चा तथा सरकारी रसीद का अवलोकन किया। पर्चा में वाद सं0 अंकित नही है। पर्चा में किसी भी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नही है,अंग्रजी में " **Approved by the SDO Chatra dt 18.11.70 vide Case no 129/70-71 Rent @Rs 1.00 per acre excluding Ces from the date of issue of Purcha & no Salami is to be charged " – Sd/-invigible Anchal Adhikari Itkhori** लिखा हुआ है। पर्चा में अंचल अधिकारी ईटखोरी द्वारा Attested दिखाया गया है। आवेदक द्वारा दाखिल एक मात्र सरकारी रसीद जिसका सं0–992513 है का अवलोकन किया , यह रसीद वर्ष 2012–13 में दिनांक 15.04.2012 को निर्गत किया गया। रसीद में बकाया 147.20 रू0 एवं हाल 4.60 रू0 अंकित है जिसका कुल 151.80 होता है परन्तु कुल मीजान (लफजों में) कुल ऐकावन रूपये अस्सी पैसे मात्र वसुली लिखा हुआ है। बकाया की वसुली किस वर्ष से की गई है दर्ज नही है। इस तरह से आवेदक द्वारा दाखिल कागजात संदिग्ध प्रतीत होता

Scanned with OKEN Scanner

है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजस्व उप निरीक्षक के साथ ग्राम कुरकुटा जाकर स्थल जांच किया गया । विपक्षीगण केवाला से प्राप्त अपने-अपने भूमि पर दखलकार हैं एवं मकान भी बना हुआ है। विपक्षीगण के भूमि से आवेदक के भूमि का कोई संबंध नहीं है क्यों कि तथाकथित पर्चा से जो भूमि आवेदक के पिता को प्राप्त है उसके चौहद्दी के अनुसार वह भूमि अभी परती जंगल है जो सार्वजनिक कार्य में आता है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में आवेदक के आवेदन को ...खारिज...........की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
गिद्धौर।

अंचल अधिकारी,
गिद्धौर।

Digitally signed by ANANT SHAYNAM VISHWAKARMA
Date: 2024.12.30 21:48:45 +05:30
Location: 192.168.51.75

Scanned with OKEN Scanner